पाठ्यक्रम के माध्यम से नारी समता एवं अधिकारों का शिक्षण

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

पाठ्यक्रम के माध्यम से नारी समता एवं अधिकारों का शिक्षण

प्राथमिक स्तर के लिए शिक्षक-संदर्शिका

NIEPA DC
D10480

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

दिसम्बर 1995
पौष 1917
PD 5 T - MB

© राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, 1995

प्रकाशन सहयोग

यू प्रभाकर राव, *अध्यक्ष,* प्रकाशन प्रभाग

आर. एस. सक्सेना *प्रभारी मुख्य संपादक* शिव कुमार *उत्पादन अधिकारी*
एस. डी. शर्मा *संपादक* अरुण चितकारा *सहायक उत्पादन अधिकारी*
मरियम बड़ा *सहायक संपादक* सुबोध श्रीवास्तव *उत्पादन सहायक*

आवरण : अमित श्रीवास्तव

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg.
New Delhi-110016
DOC, No. D-10480
Date 15-02-2000

एन.सी.ई.आर.टी. के प्रकाशन प्रभाग के कार्यालय

एन.सी.ई.आर.टी. कैम्पस	सी.डब्ल्यू.सी. कैम्पस	नवजीवन ट्रस्ट भवन	सी.डब्ल्यू.सी. कैम्पस
श्री अरविंद मार्ग	चितलापक्कम, क्रोमपेट	डाकघर नवजीवन	32, बी.टी. रोड, सुखचर
नई दिल्ली 110016	मद्रास 600064	अहमदाबाद 380014	24 परगना 743179

प्रकाशन विभाग में सचिव, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली 110016 द्वारा प्रकाशित तथा जैन कम्प्यूटर, लक्ष्मी नगर से कम्पोज होकर न्यू एज प्रिंटिंग प्रेस, रानी झांसी रोड, नई दिल्ली 110055 द्वारा मुद्रित।

कार्य दल

प्रो० उषा नैय्यर
प्रो० सरोजिनी बिसारिया
डा० जनक दुग्गल
डा० राजरानी
डा० मंजु गुप्ता
श्रीमती मोहन स्वदेश
श्री हरीश कुमार त्यागी

यह पुस्तिका डा० मंजु गुप्ता (रीडर) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, मैदान गढ़ी, नई दिल्ली को समर्पित की जाती है जिन्होंने न केवल इस से संबंधित कार्यशाला में भाग लिया अपितु इसकी संरचना में मुख्य भूमिका निभाई।

आमुख

भारतीय नारी के सापेक्ष यदि कुछ शब्द कहे जायें तो कहा जा सकता है कि भारतीय नारी ने बहुत उतार-चढ़ाव देखे हैं। इतिहास साक्षी है कि वैदिक काल में नारी को पुरुष के समान अधिकार प्राप्त थे, चाहे वे अधिकार शिक्षा प्राप्त करने में हों या किसी अन्य क्षेत्र में। नारियाँ/लड़कियाँ दर्शनशास्त्र, शिक्षा इत्यादि में भाग लेने में पूर्ण स्वतन्त्र थीं।

परन्तु समय ने करवट बदली उनकी स्थिति का ह्रास हुआ उनका स्तर गिरता गया। यहाँ तक कि शिक्षा में भी उनके साथ भेद-भाव बरता जाने लगा, पाठ्यक्रमों में, विषयों के चुनाव में भी उनकी आजादी समाप्त हो गई। शिक्षा शास्त्रियों के लिए एक लम्बे अर्से से यह चिन्ता का विषय है कि कैसे नारी को उसके शैक्षिक अधिकार वापिस दिलाए जाएं।

स्वतन्त्रता के पश्चात शिक्षा से संबंधित प्रायः सभी आयोगों एवं समितियों की सिफारिशों में शिक्षा के समान अवसरों की व्यवस्था करने पर बल दिया जाता रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 1986 में कहा गया है कि शिक्षा में लिंग–असमानता को दूर करने व नारी को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा के समान अवसर प्रदान किए जाएँगे तथा शिक्षा द्वारा स्त्रियों के सम्मान व स्तर में वृद्धि की जाएगी। बालिकाओं को अध्ययन के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा तथा उनके विकास के लिए सक्रिय कार्यक्रम अपनाए जाएँगे। शिक्षा के अवसर में आने वाली बाधाओं को दूर करने व उन्हें आरम्भिक शिक्षा में बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्राथमिकता दी जाएगी।

इसे पूरा करने का तरीका यह है कि पाठ्यपुस्तकों में स्त्री-पुरुष में भेदभाव की रूढ़िगत नीति को समाप्त किया जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक समझा गया कि शिक्षकों के लिए ऐसी सामग्री विकसित की जाए जिसके द्वारा पाठ्यपुस्तकों को पढ़ाते समय ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करें जिससे बालिकाओं के प्रति भेदभावपूर्ण नीति समाप्त की जा सके।

प्रस्तुत शिक्षक संदर्शिका प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के उपयोग के लिए बनाई गई है। इस संदर्शिका का उद्देश्य नारी समता व उसके अधिकारों का शिक्षण

पाठ्यक्रम के माध्यम से न्यूनतम अधिगम स्तर को ध्यान में रखते हुए किया गया है। न्यूनतम अधिगम स्तर के संप्रत्यय का स्पष्टीकारण देने के साथ-साथ कक्षा एक से पाँच के लिए निर्धारित भाषा, गणित एवं पर्यावरण अध्ययन विषयों से संबंधित क्रियाकलापों द्वारा शिक्षकों को यह सुझाने का प्रयास किया गया है कि वे कक्षा में किस तरह से लिंग-साम्य बना सकते हैं। कार्य दल ने इस बात का भी विशेष ध्यान रखा है कि शिक्षक संदर्शिका की भाषा प्राथमिक शिक्षकों द्वारा सरलता से समझी जा सके।

मैं आशा करता हूँ कि प्राथमिक स्तर के शिक्षक, शिक्षक-प्रशिक्षक एवं शैक्षिक प्रशासक-गण इस पुस्तिका को अपने लिए व नारी समानता के लिए रुचिकर पाएँगे। पुस्तिका में और अधिक सुधार लाने के लिए सुझावों एवं विचारों का स्वागत है। सुविज्ञ पाठकों एवं शिक्षकों के सुझावों पर गम्भीरता पूर्वक विचार किया जाएगा तथा वर्तमान पुस्तिका के आगामी संस्करण में संशोधन करते समय आभार प्रकट किया जाएगा।

अशोक कुमार शर्मा
निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

प्रस्तावना

I. संदर्शिका निर्माण की सार्थकता

विभिन्न प्रकार के शोध यह सिद्ध करते हैं कि आमतौर पर बालिकाओं के साथ उस प्रकार का व्यवहार नहीं किया जाता, जैसा उनके समवयस्क बालकों के साथ किया जाता है और यह स्थिति आज पूरे समाज में व्याप्त है। इस प्रकार का विभेद (विशेष रूप से सामाजिक एवं शैक्षिक स्तर पर) बालिकाओं के समुचित विकास तथा उनकी कार्यक्षमता में बाधक होता है। अतः इस परिस्थिति में बालिकाएँ राष्ट्र के विकास में पूर्ण योगदान नहीं दे पातीं। इस प्रकार यह स्थिति मानवीय संसाधनों को एक बड़े पैमाने पर निरर्थक सिद्ध कर देती है।

एक पुरानी कहावत है "ज्ञान ही शक्ति है"। अतः शिक्षा को सदैव सामाजिक स्थिति को बदलने में एक महत्वपूर्ण 'साधन' माना गया है। शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षक उभरती पीढ़ियों के जीवन-दर्शन तथा व्यक्तित्व को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे बहुत कुशलता से उन्हें सही दिशा की ओर मोड़ सकते हैं। इस पक्ष के महत्व को जानने के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 1986 ने इस बात पर विशेष बल दिया कि नारी की स्थिति में मूलभूत परिवर्तन लाने में शिक्षा मुख्य भूमिका निभाएगी। समाज में व्याप्त कमियों को समाप्त करने के लिए आवश्यक होगा कि नारी के पक्ष में सोचना प्रारंभ किया जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पुनर्निमित पाठ्यक्रमों, पाठ्यपुस्तकों, शिक्षण-प्रशिक्षण कार्यक्रमों, निर्णायकों, प्रशासकों तथा शैक्षिक संस्थाओं की सक्रिय सहभागिता के नवीन मूल्यों के विकास का पोषण करेगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 1986 की सिफ़ारिशों के कार्यान्वयन के लिए नारी अधिकारों एवं उन्नयन के लिए कार्य योजना - 1992 द्वारा निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार किया गया।

- नारी में आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता की भावना का विकास करना।
- सामाजिक, आर्थिक एवं राष्ट्रीय विकास में नारी के योगदान की सही छवि प्रस्तुत करना।
- उनमें तार्किक दृष्टि से सोचने की क्षमता का विकास करना।
- उनमें निर्णय लेने की क्षमता का पोषण करना तथा मिलजुलकर कार्य करने की क्षमता प्रदान करना।

- शिक्षा, व्यवसाय तथा स्वास्थ्य (विशेष रूप से जनन संबंधी) के क्षेत्र में नारी को सही विकल्प प्रदान करना।
- विकासात्मक प्रक्रियाओं में बालिकाओं को समान प्रतिभागिता के अवसर प्रदान करना।
- आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए सूचना एवं ज्ञान प्रदान करना।
- कानूनी शिक्षा तथा सूचना प्रदान करना, जो उन्हें उनके सामाजिक अधिकारों के प्रति जागरूक करें तथा वे सभी क्षेत्रों में कदम से कदम मिलाकर चल सकें।

स्कूली स्तर पर उपर्युक्त बिंदुओं की प्राप्ति के लिए कार्य योजना–1992 में यह कहा गया है कि

> *"सभी शिक्षकों तथा शैक्षिक निर्देशकों को नारी अधिकारों तथा उन्नयन के लिए प्रेरक के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा।" (पृ० 3)*

इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के महिला अध्ययन विभाग ने प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के लिए एक संदर्शिका बनाने का निर्णय लिया, जो पाठ्यक्रम के माध्यम से बालिकाओं के उन्नयन में उनकी सहायता करे। यह संभावना की जाती है कि बालिकाओं का उन्नयन तथा इनसे संबंधित मूल्यों का प्रतिबिंबन विद्यालय के अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया लिंग समानता की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देगी। ये मूल्य कई कार्यशालाओं में विकसित किए गए जिन्हें राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली तथा ए. एन. एस. समाज शास्त्र संस्था, पटना के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय संगोष्ठी के अंतर्गत अंतिम रूप प्रदान किया गया।

II. संदर्शिका निर्माण से संबंधित कुछ प्रमुख बातें

सन् 1981 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली के महिला अध्ययन विभाग ने 'पाठ्यक्रम के माध्यम से नारी की स्थिति' संदर्शिका का निर्माण किया। यह संदर्शिका प्राइमरी स्तर के शिक्षकों के लिए बनाई गई थी और यह राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के पाठ्यक्रम की रूपरेखा तथा निर्धारित मूल्यों के आधार पर निर्मित की गई थी, जो कि नारी की स्थिति को उजागर करते थे।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के इस पाठ्यक्रम की रूपरेखा को तब से लेकर आज तक संशोधित किया जाता रहा है तथा प्राथमिक स्तर पर (I-V) न्यूनतम अधिगम स्तर के सोपान निर्धारित किए गए हैं। ये बिंदु पाठ्यक्रम में प्रतिबिंबित होने आवश्यक हैं

1. भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास
2. सविधान मे निर्दिष्ट दायित्व
3. राष्ट्रीय एकता के अन्य पोषक तत्व
4. भारत की साझी सांस्कृतिक विरासत
5. समता, जनतंत्र तथा धर्म निरपेक्षता
6. नारी-पुरुष की समानता
7. पर्यावरण अनुरक्षण
8. सामाजिक बाधाओं का निराकरण
9. छोटे परिवार की मान्यता का निर्वाह
10. वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास

प्रत्येक शिक्षक से यह अपेक्षा की जाती है कि वे पाठ्यक्रम के इन बिंदुओं को ध्यान में रखकर इन्हें पढ़ाने का प्रयास करे।

III. संदर्शिका निर्माण

संदर्शिका के प्रारूप का निर्माण राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के महिला अध्ययन विभाग द्वारा जनवरी 1993 में तैयार किया गया। इस संदर्शिका को बनाते समय राष्ट्रीय आवश्यकताओं से प्रेरित केंद्रिक शिक्षाक्रम के रूप में सुझाए गए मूल्य, न्यूनतम अधिगम स्तर पर नारी उन्नयन के मानदंड विशेष रूप से नारी की स्थिति को उजागर करने वाले निर्धारित मूल्यों का ध्यान रखा गया। मूल्यों तथा नारी उन्नयन के मानदण्डों को न्यूनतम अधिगम स्तर के कौशलों तथा दस वर्षीय विद्यालयों के लिए पाठ्यक्रम–एक रूपरेखा' (राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् 1975) से जोड़ने की कोशिश की गई।

इनसे जुड़े विद्यालयी क्रियाकलापों को ही कौशल के साथ जोड़ा गया। मात्र उन्हीं क्रियाकलापों को सुझाया गया जो शिक्षार्थियों में लिंग-समानता का भाव पैदा करने लगे तथा शिक्षक को इस बात के लिए प्रेरित कर सके कि वे विद्यालयीन परिवेश में अपने कौशल का प्रदर्शन कर सकें। लिंग-समानता की भावना पैदा करने में समुदाय का योगदान भी आवश्यक है, अतः प्राथमिक स्तर के अध्यापकों के लिए समुदायपरक गतिविधियों का भी उल्लेख किया गया। समुदाय को प्रेरित करने वाले ऐसे ही अन्य क्रियाकलापों को भी इस संदर्शिका में रखा गया है।

फरवरी 1993 में अनुभव प्राप्त शिक्षकों तथा विशेषज्ञों की एक कार्यशाला आयोजित की गई। उनसे प्रस्तावित रूपरेखा पर अपने अनुभव, ज्ञान तथा विशेषज्ञता के आधार पर पुन: विचार करने तथा उसमें अपेक्षित सुधार करने को कहा गया। संदर्शिका को अन्तिम रूप देने से पहले उनके सभी सुझावों का समावेश इस पुस्तक में किया गया है।

IV. संदर्शिका के प्रमुख क्षेत्र

इस संदर्शिका में जिन क्षेत्रों का समावेश किया गया है, उनमें भाषा अधिगम, गणित, पर्यावरण अध्ययन, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, कला शिक्षा तथा कार्यानुभव हैं।

इस पुस्तिका की संरचना में उन सभी प्रतिभागियों का योगदान सम्मिलित है जिन्होंने, इस विभाग द्वारा फरवरी, 1993 में आयोजित एक राष्ट्रीय स्तर कार्यशाला में भाग लिया। हम उनका आभार प्रकट करते हैं। प्रतिभागियों की सूची परिशिष्ट में दी गई है।

यह पुस्तिका "शिक्षा द्वारा महिला समानता व सक्षमता" जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 1986 का आवाहन है, की ओर एक लघु पत्र है। आशा है कि यह शिक्षकों को बालिका शिक्षा में अपनी अंतरंग भूमिका निभाने में सहायता करेगी। सुझावों की प्रतीक्षा है।

उषा नैय्यर
विभागाध्यक्षा
महिला अध्ययन विभाग
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

अनुक्रमणिका

आमुख v

प्रस्तावना vii

1. भाषा 1

2. गणित 8

3. पर्यावरण 24

4. क्रियाकलाप के क्षेत्र 27

— स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा 30
— कला शिक्षा 34
— कार्यानुभव 36

परिशिष्ट

गणित (कक्षा I - V)

भूमिका

प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि बच्चे शीघ्र तथा सही रूप से अंकीय तथा स्थानिक समस्याओं को हल कर सकें, जिनका उन्हें घर, विद्यालय तथा समुदाय में सामना करना पड़ता है। प्राथमिक स्तर पर गणित का उद्देश्य बच्चों में अपने मौलिक तथा तात्कालिक परिवेश से प्राप्त अनुभवों को आधारभूत गणित की संकल्पनाओं की समझ के विकास में सहायक बनना है। इसका लक्ष्य शिक्षार्थियों के स्थूल से सूक्ष्म तथा सामान्य से विशिष्ट की ओर ले जाकर उनकी समझ को विकसित करना है। प्राथमिक स्तर पर गणित पाठ्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न प्रकार की क्षमताओं का विकास करना होना चाहिए। जैसे शीघ्र तथा सही रूप से गणना करने की योग्यता का विकास करना, गणित की शैली में मौलिक कथनों को समुचित चिन्ह का प्रयोग करते हुए तथा रेखचित्रों के रूप में रूपान्तरित करना; यथासंभव सही मापों का अनुमान लगाने एवं आकलन करने की योग्यता का विकास करना; दैनिक जीवन की सामान्य समस्याओं को हल करने में गणित की संकल्पनाओं तथा कौशलों का प्रयोग करना; क्रम एवं आकार को तार्किक ढंग से सोचना तथा पहचानना।

प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य का विवरण नीचे दिया जा रहा है। इनका चयन बालक तथा बालिकाओं में लिंग-समानता की भावना विकसित करने के उद्देश्य से किया गया है।

उद्देश्य

1. परिवार के स्तर पर किए जाने वाले कार्यों को इस रूप में प्रदर्शित करना, जिसमें परिवार के सभी लोगों की प्रतिभागिता दिखाई दे।
2. जीवन के सभी क्षेत्रों में समय, श्रम तथा क्षमता की गणना को दिखाते हुए हर काम के महत्व को प्रदर्शित करना।

शिक्षक तथा शिक्षार्थी इस प्रकार के विशेषणों का प्रयोग न करें जो लिंग असमानता को घटित करते हों। जैसे

- ताकतवर पुरुष
- कमजोर महिला, आदि।

उच्चारण

पढ़ने के लिए पाठ्यसामग्री देते समय शिक्षक इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो सामग्री दी जा रही है वह बालक तथा बालिकाओं के अनुभव जगत से ली गई हो तथा उसमें परम्परा से हटकर बालिकाओं की भूमिका प्रदर्शित की गई हो। कक्षा में पाठ के वाचन के लिए बालिकाओं को समान अवसर प्रदान किए जाएँ।

भाषा (कक्षा III)

दक्षताएँ	*विद्यालय में किए जाने वाले क्रियाकलाप*
सुनना	शिक्षक कक्षा में निर्देश देते समय लिंग असमानता को दिखाने वाले विशेषणों (महान पुरुष, अबला नारी) का प्रयोग न करें। जितना संभव हो सके, बालिकाओं को दैनिक जीवन के परिवेश में साहसी, चतुर, आत्मविश्वासी तथा आत्मनिर्भर प्रदर्शित करने पर बल दें। इस बात का भी महत्व उजागर किया जाए कि विभिन्न परीक्षाओं में बालिकाएँ उच्च उपलब्धियाँ प्राप्त करती हैं।
पढ़ना	लिंग भेद को दिखाए बिना महिला तथा पुरुष के विभिन्न क्रियाकलापों को पाठ्यसामग्री के द्वारा प्रदर्शित किया जाए।
बोलना स्वरों के उचित उतार-चढ़ाव तथा हाव-भाव के साथ सरल कहानियों को सुनना	कक्षा में कहानी सुनाते समय शिक्षक इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे उस कहानी के माध्यम से बालिकाओं का सही चित्र प्रस्तुत करें। कहानी के अंतर्गत महिला चरित्रों का तिरस्कृत रूप प्रदर्शित न किया जाए। शिक्षक बालक तथा बालिकाओं – दोनों को उनके दैनिक जीवन के संदर्भों से जुड़ी कहानियों को उचित हाव-भाव तथा स्वरों के उतार-चढ़ाव के साथ प्रस्तुत करने को कहें। शिक्षक इस भावना का निराकरण करें कि केवल बालक ही आत्मविश्वास के साथ कठिन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं।

बालिकाओं को भी कठिन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करें। यह बात बालिकाओं में आत्मविश्वास पैदा करेगी। प्रश्न पूछने के लिए भी बालिकाओं को प्रोत्साहित किया जाए। कक्षा में तथा शिक्षक की उपस्थिति में बालिकाएँ न तो झिझकें और न ही तर्क करें – इस बात के लिए भी उन्हें प्रेरित किया जाए।

लिखना

बालक तथा बालिकाओं को मौलिक लेखन के प्रति उत्साहित किया जाए। उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में नारी की उपलब्धियों को दिखाते हुए निबंध लिखने के लिए भी प्रेरित किया जाए।

भाषा प्रयोग

शिक्षक कक्षा में किसी विषय पर चर्चा करवाने के लिए उसकी स्वयं भूमिका बनाएँ तथा बालकों के साथ बालिकाओं को भी उसमें भाग लेने के लिए प्रेरित करें। जो बालिकाएँ इस प्रकार की चर्चाओं में स्वयं भाग लें, उनकी शिक्षक प्रशंसा करें।

समूह में बोलते समय बालक तथा बालिकाएँ क्रमवार ही बोलें। शिक्षक इस बात का ध्यान रखें कि वे बालिकाएँ इस प्रक्रिया में पीछे न रहें तथा वे भाषा अधिगम प्रक्रिया में समान रूप से सहभागिता करें।

भाषा (कक्षा IV तथा V)

दक्षताएँ	*विद्यालय में किए जाने वाले क्रियाकलाप*
सुनना	बालक तथा बालिकाओं को इस बात के लिए उत्साहित करना जिससे उनमें तर्कशक्ति का विकास हो सके तथा किसी भी विषय पर वे अपनी राय बना सकें।
बोलना	विद्यालय में शैक्षिक सामग्री किसी प्रकार के लिंग-भेद को न उभारे। वाचन के लिए उन्हीं अंशों को प्राथमिकता दी जाए जहाँ बालक तथा बालिकाओं की समान प्रतिभागिता को दिखाया गया हो, जिनसे उन्हें उपलब्धि प्राप्त हो सके। वाचन के अंश इस प्रकार के हों, जो जीवन के ही संदर्भ में बालक तथा बालिकाओं के आपसी सहयोग को प्रदर्शित करें।
(कक्षा III के समान)	
पढ़ना	शिक्षक इस बात का ध्यान रखें कि शिक्षार्थी ऐसी कहानियाँ, कॉमिक्स आदि पढ़ें, जो बालक तथा बालिकाओं में भेद न दिखाए। कविताएँ, कहानियाँ तथा वाचन के अंश परम्परा से हटकर चलने वाली नारी की भूमिकाओं को उद्घटित करें। जैसे पुलिस अफसर, सेना के पदाधिकारी तथा न्यायाधीश के समक्ष नारी की भूमिकाओं का आदर्श प्रस्तुत कर सकें तथा बालकों में भी

	बालिकाओं को इन रूपों में स्वीकार करने की आदत डाल सकें।
लिखना	निबंध, अनुच्छेद, कहानी आदि लिखवाने के लिए शिक्षक द्वारा जिन विषयों का चुनाव किया जाए तथा उनके लिए जो निर्देश किए जाएँ, उनमें किसी प्रकार का लिंग-भेद न हो। इनमें बालिकाओं को सही तथा परम्परा से हटी हुई भूमिकाओं में दर्शाया जाए।
विचारों का बोधन (लिखित तथा मौखिक पाठ में सामान्य कारणों तथा विचारों एवं घटनाओं का परस्पर संबंध स्थापित करना)।	शिक्षार्थियों को बोधन के लिए इस प्रकार के अनुच्छेद दिए जाएँ जो बालक तथा बालिकाओं में लिंग-समानता संबंधी मूल्यों को स्थापित कर सकें
	बच्चों के लिए नाटक, वाद-विवाद, अभिनय-क्षमता आदि का आयोजन, बालक तथा बालिकाओं की भागीदारिता को लेकर समान हो। उचित विषय के चुनाव द्वारा लिंग-भेद को समाप्त करने पर बल दिया जाए।
	बालक तथा बालिकाओं की समाचार-पत्र पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाए तथा इसके लिए उन्हें समान अवसर प्रदान किए जाएँ। समाचारों पर दोनों से समूह में विचार-विमर्श करने को कहा जाए।

समुदाय के साथ किए जाने वाले क्रियाकलाप

* शैक्षिक विकास के लिए अभिभावक अपने लड़के तथा लड़कियों को समान सुविधाएँ प्रदान करें।

* लड़कियों में भाषित क्षमता के विकास के लिए अभिभावक उन्हें क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें।

* समुदाय के क्रियाकलापों में राष्ट्रीय पर्वों का आयोजन हो, जिसके अन्तर्गत राष्ट्रीय विकास में महिलाओं की भूमिकाओं को उजागर किया जाए। इन पर्वों में पुरुष व नारी की समान सहभागिता हो शिक्षक विभिन्न सामाजिक कार्यकलापों में जुड़ी महिला कार्यकर्ताओं के विषय में अभिभावकों से विचार-विमर्श करें।

* शिक्षक अभिभावकों को इस बात के लिए जागरूक करें कि घर तथा विद्यालय में बालक-बालिकाएँ, एक-दूसरे के विचारों को आदर दें।

* अभिभावक अपने बच्चों को ऐसी लोककथाएँ सुनाएँ जिनमें महिलाओं की उचित भूमिका दर्शाई गई हो।

अभिभावक घर में अपने बच्चों को विचारों के स्वच्छंद भाव से व्यक्त करने के लिए भी प्रोत्साहित करें।

भाषा (कक्षा I-V)

भूमिका

प्राथमिक स्तर पर 'भाषा' पाठ्यक्रम के अंतर्गत एक प्रमुख भूमिका निभाती है। भाषा अधिगम द्वारा जिन मूलभूत कौशलों की दक्षता प्राप्त की जाती है, वे अन्य क्षेत्रों की संकल्पनाओं के अधिगम को सरल बनाते हैं। साथ ही बच्चे के व्यक्तित्व के विकास तथा दैनिक जीवन के क्रियाकलापों में उसके आचरण को प्रभावी बनाने में भाषा प्रयोग तथा शब्दावली नियंत्रण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

भाषा अधिगम के उद्देश्य

प्राथमिक स्तर पर भाषा अधिगम के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- भाषा को समझते हुए सुनना
- औपचारिक तथा अनौपचारिक–दोनों स्थितियों में प्रभावपूर्ण ढंग से बोलना
- समझते हुए पढ़ना तथा विभिन्न प्रकार की शैक्षिक सामग्री का आनंद लेना
- तार्किकता तथा मौलिकता के साथ सुन्दर एवं स्पष्ट लिखना
- सुनकर तथा पढ़कर विचारों को ग्रहण करना
- विभिन्न प्रकार के संदर्भों में व्याकरण का उचित प्रयोग करना

भाषा के चार महत्वपूर्ण कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना तथा लिखना हैं। किसी भी प्रभावी भाषा अधिगम के संदर्भ में इनकी दक्षता प्राप्त करना अनिवार्य होता है। इस रूप में ये चारों मूलभूत कौशल एक दूसरे से संबद्ध हैं।

शब्दों को याद करना तथा संदर्भ से जोड़ना	शिक्षक, शिक्षार्थियों को इस बात के लिए प्रेरित करें कि वे जो भी वाक्य बनाएँ, लिंग भेद से मुक्त हों। निम्नलिखित प्रकार के वाक्यों को न बनाने पर बल दिया जाए। जैसे – मेरी माँ घर पर रहती है – मेरे पिताजी फैक्ट्री में काम करते हैं

3. जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती प्रतिभागिता को और अधिक बल देना।
4. गणित के अभ्यासों में सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तनों को इस प्रकार संयोजित करना, जिससे इस दिशा में बढ़ती इच्छा शक्ति को उजागर किया जा सके।
5. तार्किक शक्ति पर बल देना, जिससे परिवार कल्याण को ध्यान में रखते हुए छोटे परिवार की संकल्पना का विकास हो।
6. गणितीय समस्याओं द्वारा बालक तथा बालिकाओं में निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना।
7. समान अवसरों के संदर्भ में इस प्रकार की स्थितियाँ प्रदर्शित करना, जहाँ पुरुष और नारी दिए गए उत्तरदायित्वों का कंधे से कंधा मिलाकर समान कुशलता से निर्वाह करें।
8. सोने, चाँदी तथा अन्य कीमती वस्तुओं के प्रति प्रलोभन की भावना को बहुत कम करना तथा इस प्रकार के व्यवहार को बढ़ावा देना, जहाँ बैंक में धन जमा किया जाए।
9. महिला गणितज्ञों तथा उनकी उपलब्धियों को उनके जीवन वृत्त के माध्यम से उजागर करना।

गणित (कक्षा - II)

जोड़, घटा, गुणा तथा भाग

समस्याएँ	*क्रियाकलाप*
1. मुक्ता रीनी एक बैंक में मैनेजर के पद पर 8 घंटे काम करती है तथा 2 घंटे घर में खाना बनाने में लगाती है। वह एक दिन में कितने घंटे काम करती है?	इस बात को स्पष्ट कीजिए कि परिवार के एक सदस्य पर किस तरह काम का दबाव पड़ता है, जब घर के अन्य सदस्य उन उत्तरदायित्वों को नहीं बाँटते।
2. राघवन के माता-पिता सुबह घर के काम में 1 घंटा लगाते हैं। इसके बाद वे 8 घंटे कार्यालय में काम करते हैं। वे दोनों एक दिन में कितने घंटे काम करते हैं?	यह बात समझाइए कि घर के कार्यों को आपस में बाँटने से समय तथा श्रम की बचत होती है जिसका प्रयोग अन्य उत्पादक कार्यों के लिए किया जा सकता है।
3. अरुणा तथा उसके पति की कुल आय 1500 रुपये प्रतिमाह है। अगर वे हर महीने 1000 रुपये खर्च करते हैं तो वे अपनी आय में से कुल कितना बचा पाते हैं?	संसाधनों को बढ़ाने में नारी की भूमिका की चर्चा कीजिए।
4. रशीदा 850 रुपये की एक साइकिल खरीदना चाहती है। उसके पास केवल 800 रुपये हैं। साइकिल खरीदने के लिए उसे और कितने रुपये चाहिए?	नारी द्वारा निर्णय लेने की भूमिका को उजागर कीजिए।
5. रविवार के दिन रामप्रकाश तथा रोहिणी ने पुस्तकों की अलमारी साफ करने में 40 मिनट लगाए। उनमें से प्रत्येक ने कितने मिनट कार्य किया?	कार्य में समान प्रतिभागिता के दायित्वों को उभारिए।

6. घर के खर्चों में कमी करके रमण की माँ ने एक महीने में 75 रुपये बचाए। इस प्रकार उन्होंने दस महीने में कुल कितने रुपये बचाए?	घर के खर्चों में कमी की आवश्यकता को समझाइए।
7. नीलम की माँ अपने बच्चों की चॉकलेट तथा अपने पति के सिगरेट-खर्च को कम करके हर महीने 100 रुपए बचा पाती हैं। इस प्रकार वे एक वर्ष में कुल कितना बचा पाएंगी	–वही–
8 रानी की माँ ने उसके जन्मदिन पर चाँदी की चेन खरीदने के लिए 200 रुपये दिए तथा उसके पिता ने 100 रुपए दिए। चाँदी की चेन खरीदने की बजाए रानी ने उस पैसे को बैंक में जमा करने का निश्चय किया। बताइए उसने अपने बैंक खाते में कुल कितना पैसा जमा किया?	बचत के महत्व पर चर्चा कीजिए।
9. करीम तथा उसकी बहन ने अपने घर के बगीचे की 7 क्यारियों में 35 टमाटर के पौधे लगाए। अगर सभी क्यारियों में पौधों की संख्या समान है, तो क्यारी में कुल कितने पौधे हैं?	पर्यावरण विषयों पर बालक तथा बालिकाओं की भूमिका स्पष्ट कीजिए।
10. राघव के माता-पिता ने घरेलू खर्च में कमी करके एक महीने में चीनी पर 10 रुपए, तेल पर 4 रुपए तथा घी पर 8 रुपए बचाए। इस प्रकार एक महीने में उन्होंने कितना धन बचाया?	घरेलू खर्चों में कमी की आवश्यकता की चर्चा कीजिए।

11. रानी की माँ डाक्टर हैं। वे हर रविवार को गाँव जाती हैं तथा गाँव वालों के स्वास्थ्य की जाँच में 4 घंटे बिताती हैं, तो वे एक महीने में कितने घंटे गाँव में बिताती हैं।

घर के बाहर नारी की बदलती भूमिका को उभारिए।

12. रोमिला के पिता घर में 5 सेब लाए। अगर रोमीला के दो भाई व माँ है तो परिवार के प्रत्येक सदस्य को कितने-कितने सेब मिलेंगे? यदि सभी सदस्यों को दो-दो सेब दिए जाएं तो उन्हें और कितने सेबों की आवश्यकता है?

छोटे परिवार के आदर्श रूप पर बल दीजिए।

13. आपके परिवार का हर सदस्य एक दिन में किस प्रकार का कार्य करता है तथा कितने घंटे कार्य करता है– इसे तालिका के रूप में प्रस्तुत कीजिए। यह भी पता लगाइए कि कौन सबसे ज्यादा काम करता है तथा कितने घंटे काम करता है?

बच्चों से कहिए कि वे घर की कार्य पद्धति को समझें। हर सदस्य द्वारा किए जाने वाले कार्य समय को उन्हें नोट करने की कहिए। कार्यभार में असमानता दिखाई देने पर उन पर चर्चा कीजिए तथा बच्चों में इस भावना को जगाइए कि घर के कार्यों में सभी का समान योगदान होना चाहिए।

14. घरेलू कार्यों में सहयोग से संबंधित अपनी दो समस्याएँ रखिए, जिसमें आपको उत्तर प्राप्त करने के लिए कुछ घटाना है।

15. शर्मिला एक पर्यावरण वैज्ञानिक है। उसने यह पता लगाया कि एक पौधा लगाने से उस स्थान का वार्षिक वर्षा स्तर एक मिली मीटर बढ़ेगा। अगर उसने स्कूल की

नारी की बदलती भूमिका, निर्णय लेने की भूमिका तथा पर्यावरण संरक्षण में उसकी भूमिका को उजागर कीजिए।

राष्ट्रीय सेवा योजना (एन. एस. एस) समूह से 100 पौधे लगवाए हों तो उस स्थान के वर्षा के स्तर में कितनी वृद्धि होगी?

16. शैली के बीमार होने पर उसकी माँ अरुणा ने अपने कार्यालय से 3 दिन की तथा उसके पिता प्रदीप ने 4 दिन की छुट्टी ली। शैली की देख-रेख करने के लिए उसके माता-पिता ने कुल कितने दिन की छुट्टियाँ ली?

उत्तरदायित्वों को समान रूप से बाँटने की भावना पर बल दीजिए।

गणित (कक्षा - III)

(जोड़, घटा, गुणा, भाग, मीटर के माप भिन्नांक, अमानक इकाइयों का प्रयोग, कप, कटोरी, बाल्टी आदि की ग्रहणशक्ति मापना, क्षेत्रफल, समय, मुद्रा)

समस्याएँ	*क्रियाकलाप*
1. रानी की माँ काम के बाद खाली समय गाँव वालों की सहायता में बिताती हैं। उनके पास शनिवार तथा रविवार को 4-4 घंटे समय होता है। यदि एक महीने में चार शनिवार तथा चार रविवार हों, तब वे गाँव वालों के साथ कितना समय बिताएंगी?	अपने खाली समय को उचित प्रकार से बिताने पर बल दीजिए।
2. ईशान के माता-पिता अपनी आय का 1/6 हिस्सा बचाते हैं। यदि उनकी बचत 100 रुपए प्रतिमाह है तो उनकी मासिक आय क्या होगी?	सुरक्षित भविष्य के लिए बचत की आवश्यकता समझाइए।
3. 5 पौधों में पानी डालने के लिए मंजु को एक बाल्टी पानी की आवश्यकता होती है। वह 3 बाल्टी पानी से कितने पौधों को पानी दे सकती है।	पर्यावरण-संरक्षण में बालिकाओं के योगदान को उद्घाटित कीजिए।
4. मार्ग्रेट भारतीय वन सेवा विभाग में है। अपने अधिकार वाले वन क्षेत्र के भाग को उसने नवीकरण करने के लिए रख लिया। यदि उसके पूरे वन का क्षेत्रफल 500 वर्ग किलोमीटर है, तो नवीनीकरण किए जाने वाले वन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।	घर से बाहर नारी की बदलती भूमिका, उसकी निर्णय लेने की क्षमता तथा राष्ट्रीय विकास में उसकी सक्रिय भूमिका को स्पष्ट कीजिए।

5. पिताजी ने रेणु तथा उसके भाई राघव को 20–20 रुपए दिए। रेणु ने 5 रु० की एक टॉफी खरीदी, 10 रु० बैंक में जमा किए तथा 2रु० के बिस्कुट खरीदे। राघव ने 5 रु० की एक चॉकलेट खरीदी तथा 10 रु० का एक खिलौना खरीदा। अगर तुम्हें 20 रु० दिए जाएँ तो तुम किसके द्वारा किए गए हिसाब की चुनोगे? और यह भी बताओ कि तुम्हारे पास उसमें से कितने पैसे बचेंगे?

शिक्षार्थियों को निर्णय लेने का अवसर प्रदान करें तथा सही विकल्प चुनने पर चर्चा करें।

6. माता-पिता तुम्हारे जन्मदिन पर 80 रु० खर्च करने को तैयार हैं। तुम अपने जन्मदिन को अपने माता-पिता, भाई तथा चार सहेलियों के साथ मनाने के लिए खर्च को कैसे नियोजित करोगे?

—वही—

7. केथरिन तथा जॉन घर के प्रबंध में अपने माता-पिता की रोज 45 मिनट सहायता करते हैं। वे एक सप्ताह में अपने माता-पिता की कितने घंटे सहायता करते हैं।

बालक-बालिकाओं की समान प्रतिभागिता की आवश्यकता तथा घरेलू कार्यों में दोनों के समान उत्तरदायित्व को समझाएँ।

8. लालचन्द ने अपनी दो बेटियों तथा एक बेटे के लिए 48,000 रु० की संपत्ति छोड़ी, अगर तीनों में यह संपत्ति समान रूप से बांटी जाए तो प्रत्येक को कितना धन मिलेगा? यदि लालचन्द की केवल दो लड़कियाँ होतीं, तब प्रत्येक लड़की को कितनी संपत्ति मिलती?

संपत्ति में महिलाओं के समान अधिकार पर बल दीजिए।

9. सुषमा ने सामान की बिक्री में सोमवार को अपने पिता की सहायता की तथा कुल बिक्री 982 रुपए की हुई। सुषमा के भाई रमेश ने मंगलवार को अपने पिता की सहायता की तथा कुल बिक्री 879 रुपए की हुई। बताइये इन दो दिनों की कुल कितने रुपए की बिक्री हुई।

–वही–

10. टैस्ट मैच की एक पारी में 11 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रनों की संख्या इस प्रकार है: 105, 84, 53, 22, 7, 9, 3, 9, 29, 67, 0 इस टीम की उस पारी में कुल रन-संख्या कितनी है?

–वही–

11. एक फैक्ट्री में 2425 कार्यकर्ता पुरुष हैं तथा 1985 महिलाएँ हैं। कुल मिलाकर वहाँ कितने कार्यकर्ता हैं?

–वही–

12. सेवानिवृत्त होने के बाद लक्ष्मण ने अपने बेटे गोपाल तथा बेटी रश्मि को अपने बैंक खाते से 12575 रुपए बराबर-बराबर मात्रा में दिए। उसने अपने लिए 18976 रुपए रख लिए। बताइए उसके बैंक खाते में कुल कितनी राशि थी?

घर की संपत्ति में बालक तथा बालिकाओं के समान अधिकार पर बल दीजिए।

13. सरोजनी ने 19500 ईंटें खरीदी। एक कमरे के निर्माण में उसने 6375 ईंटें लगायीं। बताइए अब उसके पास कितनी ईंटें शेष हैं?

शिक्षक नारी की बदलती भूमिका को उभारें। जैसे: बताएं कि घर बनवाने में महिला भी जिम्मेदारी ले सकती है।

14. एक सहशिक्षा विद्यालय में वाचनालय के निर्माण के लिए लड़कियों ने 7864 रुपए तथा लड़कों ने 6956 रुपए दान के रूप में एकत्रित किए। बताइए लड़कों को कितनी धन राशि और इकट्ठी करनी पड़ेगी, जो लड़कियों के समान हो जाए?

लड़कियों की भागीदारिता को हर क्षेत्र में, उभारा जाए।

गणित (कक्षा IV)

(भारतीय मुद्रा, मीटर के माप, पूर्णांक, भिन्न, घटा गुणा)

समस्याएँ	*क्रियाकलाप*
1. शर्मिला ने अपने लिए 13.75 रुपए की एक गणित की पुस्तक, अपने पिता के लिए 15.50 रुपए का ऊनी टोप, अपनी माँ के लिए 19.75 रुपए की चप्पल तथा अपने भाई के लिए 11.80 रुपए का एक खिलौना खरीदा। तो उसने सभी वस्तुओं पर कुल कितनी राशि खर्च की?	घर की व्यवस्था में नारी की सक्रिय भागीदारिता तथा दैनिक समस्याओं को सुलझाने की क्षमता प्रदर्शित की जाए।
2. मीनाक्षी ने क्रमशः 60.50 रुपए 40.50 रुपए तथा 30.50 रुपए अपने तीन बच्चों की फीस के लिए जमा किए तो उसने तीनों बच्चों की फीस के लिए कुल कितनी राशि जमा की?	–वही–
3. सन् 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की कुल संख्या 40,65,18,417 थी, जिसमें से केवल 13,17,67,519 साक्षर महिलाएं थीं। अनपढ़ महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए।	साक्षरता के स्तर पर विभिन्नता को उभारिए।
4. मैं प्रतिदिन पौधों को पानी देने में 15 मिनट खर्च करता/करती हूँ। बताइए कि मैं 30 दिन के महीने में पौधों को पानी देने में कितने घंटे खर्च करता/करती हूँ?	पर्यावरण-संरक्षण में बालक तथा बालिकाओं की भूमिका स्पष्ट कीजिए।

5. महीने के प्रारम्भ में रजनी ने 2 किलो 500 ग्राम घी खरीदा। महीने के अन्त में केवल 150 ग्राम घी ही शेष बचा। बताइए उसने एक महीने में कितना घी खर्च किया?

सामाजिक दृष्टि से उपयोगी तथा साहसिक कार्यों में नारी में नेतृत्व की भावना को उजागर कीजिए।

6. रंजीता ने 2 किलो 150 ग्राम ऊन खरीदी। उसने अपने पति के लिए स्वेटर बनाने में 400 ग्राम, अपनी लड़की की मिडी बनाने में 200 ग्राम, अपने लड़के के स्वेटर में 175 ग्राम ऊन इस्तेमाल की। उसने 350 ग्राम ऊन अपने लिए मिडी बनाने में भी प्रयोग किया। इस प्रकार उसने कुल कितनी ऊन खर्च की? उसके पास अभी कितनी ऊन और बाकी बची है?

–वही–

7. राष्ट्रीय सेवा योजना (एन. एस. एस.) कैम्प में जाहिरा द्वारा संचालित किए जा रहे दल ने लिंक रोड की 36 मीटर 175 सेंमी. सड़क बनाई तथा कुमार द्वारा संचालित दल ने उसी लिंक रोड की 32 मीटर 175 सेंमी. सड़क बनाई। दोनों समूहों ने मिलकर कुल कितनी लंबी सड़क बनाई? किस समूह ने ज्यादा काम किया तथा कितना काम किया?

–वही–

8. अगर रश्मि शाम को 1 घंटा 30 मिनट अपना गृहकार्य करने में लगाती है तथा 2 घंटे सुबह भी लगाती है। बताइए वह गृहकार्य पूरा करने में कुल कितने घंटे लगाती है?

दैनिक जीवन की समस्याओं को सुलझाने की क्षमता पर प्रकाश डालिए।

9. खालिदा के घर से विद्यालय 2 कि. मी. की दूरी पर है, जबकि सरिता का घर स्कूल से 6 कि. मी. की दूरी पर है। अगर दोनों विद्यालय पैदल जाते हैं तो बताइए स्कूल पहुँचने के लिए कौन ज्यादा दूरी तय करता है और कितनी दूरी? —वही—

10. कक्षा की पिकनिक में 10 लड़कियाँ तथा 12 लड़के थे, जिनमें प्रत्येक को 50 ग्राम मिठाई दी गई। कुल मिला कर कितनी मात्रा में मिठाई दी गई? —वही—

गणित (कक्षा V)

(अंक तथा अंकीय व्यवस्था, दशमलव, लघुत्तम, अनुपात, माप)

समस्याएँ	*क्रियाकलाप*

1. निम्नलिखित तालिका में वर्ष 1981 तथा 1991 में साक्षर महिलाओं तथा पुरुषों की संख्या दर्शाई गई है।

लिंग	साक्षरों की संख्या	साक्षरों की संख्या
वर्ष	1981	1991
पुरुष	15,88,37,215	23,04,06,841
महिलाएँ	7,91,54,717	13,17,67,519
कुल	23,79,91,932	36,21,74,360

i. वर्ष 1981 में साक्षर पुरुषों की कुल संख्या बताइए।
ii. वर्ष 1981 में साक्षर महिलाओं की कुल संख्या बताइए।
iii. वर्ष 1991 में साक्षर पुरुषों की कुल संख्या बताइए।
iv. वर्ष 1981 की कुल साक्षरता बताइए।
v. वर्ष 1991 की कुल साक्षरता बताइए।
vi. वर्ष 1991 की साक्षर महिलाओं की कुल संख्या बताइए।
vii. वर्ष 1981 में महिलाओं की अपेक्षा कितने अधिक साक्षर पुरुष थे?
viii. वर्ष 1991 में महिलाओं की अपेक्षा कितने अधिक साक्षर पुरुष थे?

साक्षरता के स्तर पर लिंग भेद तथा अनुपात को उजागर कीजिए तथा देश में महिलाओं को शिक्षा के प्रति सचेत बनाइए।

ix. वर्ष 1981 की अपेक्षा वर्ष 1991 में कितने साक्षर पुरुष तथा महिलाएं थी?

2. डौली को 'पढ़ने के दौरान कमाओ' योजना के अंतर्गत हर महीने 50 रुपए मिलते हैं, जिसमें से वह कुल राशि का 2/5 भाग बचा लेती है। बताइए वह एक वर्ष में कितना बचा लेगी?

छात्रों को पढ़ने के दौरान 'बचत योजना' की आदत डालना, जिससे वे आत्मनिर्भर हो सकें।

3. रेशमा के माता-पिता प्रतिमाह 2550 रुपए कमाते हैं। विभिन्न मदों पर वे इस प्रकार खर्च करते हैं।

शिक्षा पर	–10%
वस्त्र पर	–15%
भोजन पर	30%
मकान के किराए पर	–12%
अन्य	–16%

(i) बताइए प्रतिमाह परिवार की आय का कितने प्रतिशत बचा पाते हैं?

जीवन के ही संदर्भ में नारी की प्रतिभागिता को उद्घाटित कीजिए।

(ii) हर मद पर कितने रुपए खर्च होते हैं तथा कितने बचते हैं?

4. सुषमा 750 रुपए की एक सिलाई मशीन खरीदना चाहती है। उसकी मासिक आय 500 रुपए प्रतिमाह है। वह 10 महीने बाद मशीन खरीदना चाहती है। बताइए इसके लिए उसे कितने प्रतिशत प्रतिमाह अपने वेतन से बचाना पड़ेगा?

परिवार के भविष्य की सुरक्षा के लिए निरंतर बचत करने की भावना उत्पन्न कीजिए।

5. सुनीता ने 320 रुपए की 4 कि. ग्रा. ऊन खरीदी तथा उससे उसने 20 स्वेटर बुने। उसने एक स्वेटर 28 रुपए का

सामाजिक दृष्टि से उपयोगी उत्पादन संबंधी कार्यों के प्रति उचित भावना का विकास कीजिए।

बेचा। उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

6. सरिता ने फैक्ट्री स्थापित करने के लिए बैंक से 50,000 रुपए का ऋण लिया। उसे प्रतिवर्ष 9% की दर से ब्याज का भुगतान करना है। यदि 5 वर्ष बाद पैसा चुकाना हो तो उसे कुल कितनी राशि देनी होगी?

विभिन्न क्षेत्रों में नारी की सक्रिय भागीदारिता को उजागर कीजिए।

7. खेल दिवस के दिन हर लड़की को 0.75 मीटर फीते की आवश्यकता है। बताइए 45 लड़कियों के लिए कितने मीटर फीते की आवश्यकता होगी?

दैनिक जीवन की समस्याओं को सुलझाने की क्षमता का विकास कीजिए।

8. लघु बचत में ही प्रत्येक विद्यार्थी ने 11.50 रुपए जमा किए। यदि कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं, तो महीने में कुल कितनी राशि जमा होगी?

विभिन्न प्रकार के सही उदाहरणों द्वारा छात्रों में बचत की आदत का विकास कीजिए।

9. प्राधानाध्यापक विद्यालय में बगीचा बनवाना चाहते हैं। यदि वे 3 घंटे के लिए विद्यालय की 84 छात्राओं को इस काम में लगाते हैं, तब काम 16 दिन में समाप्त होता है। यदि छात्राएं रोजाना 4 घंटे काम करना चाहती हैं, तब काम समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे?

शारीरिक कार्य का महत्त्व तथा मेहनत के मूल्य को उजागर कीजिए।

पर्यावरण अध्ययन

भूमिका

पर्यावरण के आमतौर पर दो मुख्य पक्ष हैं– प्रकृति और मानव। यह वर्गीकरण पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में सामाजिक अध्ययन तथा विज्ञान की समन्वित इकाई के रूप में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है।

उद्देश्य

पर्यावरण का प्रमुख उद्देश्य यह है कि बच्चे संपूर्ण पर्यावरण को समन्वित इकाई के रूप में देखें। वे इसे मानव के परस्पर संबंध के कार्य की उपलब्धि, प्राकृतिक पर्यावरण तथा सामाजिक वस्तु के रूप में समझें।

पर्यावरण (कक्षा I-V)

अधिगम क्षेत्र	*कक्षा में किए जाने वाले क्रियाकलाप*
शिक्षार्थी सामाजिक तथा प्राकृतिक परिवेश के संदर्भ में अपनी भलाई के बारे में जागरूक होता है।	शिक्षक सभी छात्रों को उनके लिंग-भेद तथा आर्थिक स्थिति के बावजूद सफाई की आदतें सीखने के लिए प्रोत्साहित करें।
राष्ट्र की भलाई के लिए बालक तथा बालिकाओं की भलाई समान रूप से आवश्यक है।	शिक्षक मुफ्त यूनिफार्म वितरण को सही समय पर निपटाएँ।
शारीरिक गुण तथा असमानताएँ उत्कृष्टता तथा निकृष्टता की ओर इंगित नहीं करती।	छात्रों को लिंग-भेद न करने के प्रति प्रेरित किया जाए। कार्यों के रूप में वे एक-दूसरे का सम्मान करना सीखें।

परिवार के सभी सदस्यों के लिए आवश्यकता के अनुरूप भोजन की संकल्पना।	शिक्षक लिंग-भेद किए बिना समुचित संतुलित भोजन की आवश्यकता की जानकारी दें।
स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ जल तथा ताजा भोजन मूलभूत आवश्यकता है।	बालक तथा बालिकाओं को साफ पानी तथा भोजन की स्वच्छता के महत्व को समझाया जाए।
परिवार के विभिन्न सदस्यों द्वारा आयोजित किए जाने वाले कार्यों का समान महत्व है।	शिक्षक अपने आसपास के परिवेश को स्वच्छ रखने की आवश्यकता को उजागर करें तथा बालक और बालिकाओं को बुहारने, झाड़ू लगाने, सफाई करने तथा घर एवं स्कूल की सजावट करने में समान भागीदारिता को महत्व दें।
आसपास के परिवेश की सुरक्षा व उसके स्वच्छ रख-रखाव के लिए सभी की समन्वित जिम्मेदारी है।	शिक्षक बालक तथा बालिकाओं को घर में प्रयुक्त किए जाने वाले बिजली के उपकरणों, स्टोव, गैस आदि का असावधानी से प्रयोग करने पर होने वाली विपत्तियों से सूचित करें। कक्षा में उनसे सुरक्षा के उपायों पर चर्चा करें।
दुनिया के सभी काम पुरुष तथा नारी की क्षमता को ध्यान में रखते हुए किसी से भी करवाए जा सकते हैं।	उभरते तकनीकी विकास में रुचि लेने के लिए शिक्षक बालिकाओं को प्रोत्साहित करें।
अपने आसपड़ोस में आमतौर पर होने वाले अपराधों का ज्ञान रखना। जैसे चोरी, डकैती, उत्पात और अतिक्रमण आदि।	नारी की परम्परागत भूमिकाओं से हटकर सभी भूमिकाओं में नारी की भागीदारिता को शिक्षक उभारें। शिक्षक यह समझाएँ कि जब-जब परिवार, पड़ोस, शहर तथा देश में शांति भंग हुई है, तब-तब इसका सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव महिलाओं तथा बच्चों पर पड़ा है।

प्रजातांत्रिक व्यवस्था में मताधिकार के महत्व को समझना।	शिक्षक बालक तथा बालिकाओं को न्यायपूर्ण मत की महत्ता समझाएँ। बच्चों को मत के संदर्भ में अपना निर्णय लेने की आवश्यकता समझाएँ।
वर्तमान सामाजिक संदर्भ में छोटे परिवार के सिद्धान्तों को अपनाने की महत्ता।	शिक्षक इस बात पर बल दें कि छोटे परिवार के सिद्धान्तों को अपनाने में पुरुष तथा महिलाएँ समान रूप से अपनी भूमिका अदा करते हैं। बढ़ती जनसंख्या से उत्पन्न होने वाले संकटों को भी समझाएँ। बालक तथा बालिकाओं के लिंग-असमानता से उनके अनुपात में कमी से होने वाले दुष्परिणामों से परिचित कराएँ।
सुखी परिवार के लिए परिवार के सभी सदस्यों के सहयोग की आवश्यकता होती है।	घरेलू कार्यों में बालक तथा बालिकाएँ समान रूप से भाग लें। पक्षियों के बारे में पढ़ाते समय घौंसला बनाते समय नर तथा मादा के संयुक्त प्रयासों को उदाहरण स्वरूप लिया जा सकता है।
भोजन कम तथा संतुलित भोजन के बारे में जानकारी।	लिंग-भेद किए बिना भोजन क्रम का ज्ञान दिया जाए।
स्वस्थ जीवन के लिए स्वच्छ हवा तथा रोशनी की आवश्यकता पर बल।	अध्यापक बालिकाओं को यह समझाने में सहायता करें कि उनके दैनिक जीवन में आग की लपटें, धुआँ, सूर्य की कम रोशनी तथा कम प्रकाश हानिकारक सिद्ध होते हैं तथा बिना धुएँ वाले चूल्हों, गोबर गैस आदि के बारे में बालक तथा बालिकाओं को जानकारी दें।

क्रियाकलाप के क्षेत्र

भूमिका

बच्चे स्वभाव से जिज्ञासु, अन्वेषक तथा जन्मजात सृजक होते हैं। वे स्वयं को रूप, आकार देकर मूर्त में अभिव्यक्त करना पसन्द करते हैं। दुर्भाग्यवश जीवन के प्रारंभिक वर्षों में उनका जो मानसिक, शारीरिक तथा भावनात्मक विकास होता है, उसके कारण वे इनके प्रति सुस्त तथा निष्क्रिय रहते हैं। बचपन का उफनता जोश जीवन के प्रारंभ में ही विभिन्न दबावों तथा पारम्परिक भूमिकाओं को निभाने में समाप्त हो जाता हैं जिनकी कि उनसे अपेक्षा की जाती है। इस प्रक्रिया का सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव बालिकाओं पर पड़ता है। अपने जीवन के प्रारंभ में ही खेल के साथ-साथ उनकी बहुत सी स्वाभाविक सर्जनात्मक अभिव्यक्तियों पर रोक लगा दी जाती है जो कि हर बच्चे का मूलभूत अधिकार है। आमतौर पर लड़कियों को अपने गुणों तथा विशेषताओं को साकार रूप देने का अवसर नहीं दिया जाता। उन्हें केवल समाज द्वारा पूर्वनिर्धारित भूमिकाओं को ही स्वीकार करने पर बल दिया जाता है। बाल-केन्द्रित क्रियाकलापों पर आधारित दृष्टिकोण पर संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 1992 द्वारा पुनर्विचार किया गया तथा इसके द्वारा बच्चे के सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास करने पर बल दिया गया, जिसमें कार्यानुभव, कला शिक्षा तथा शारीरिक शिक्षा को समुचित महत्व प्रदान किया गया। हर राज्य द्वारा प्राथमिक स्तर के लिए निर्मित पाठ्यक्रम में क्रियाकलाप के उद्देश्य अधिगम परिणाम, विषय-वस्तु तथा मूल्यांकन तकनीक प्रक्रिया आदि को ग्रहण करने पर बल दिया गया। प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा के राष्ट्रीय स्तर के पाठ्यक्रम (1988) में विषयवार उद्देश्यों, विषय-वस्तु तथा पाठ्यक्रम की अध्यापन–प्रक्रियाओं को अपनाने का सुझाव दिया गया। इसके अन्तर्गत जिन क्रियाकलापों का सुझाव दिया गया है, वे बालक तथा बालिकाओं दोनों के लिए होंगे। कक्षा में इनको कार्यान्वित करते समय शिक्षक अनजाने ही दोनों में भेद करने लगते हैं। उदाहरण के लिए शारीरिक शिक्षा से जुड़े कुछ क्रियाकलाप जैसे– रस्सी कूदना, खो-खो आदि खेल लड़कियों के लिए

माने जाते हैं तथा कबड्डी, हॉकी आदि खेल लड़कों के लिए।

विद्यालय में आयोजित किए जाने वाले खेल लिंग-भेदभाव से मुक्त हों तथा शिक्षक सभी बच्चों को सभी प्रकार के क्रियाकलापों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें। यह भी आवश्यक है कि शिक्षक बालिकाओं को उन क्रियाकलापों में भाग लेने का अवसर दें, जो परम्परागत रूप से बालकों के साथ जुड़े हैं। जैसे – औजारों का प्रयोग करना, हॉकी, फुटबाल जैसे खेल खेलना आदि। इसी प्रकार बालकों को उन क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, जो परम्परागत रूप से बालिकाओं से जुड़े हैं। जैसे–नृत्य, संगीत, सिलाई, बुनाई, रस्सी-कूद आदि। कार्यानुभव की कक्षा में समूह में कार्य करने की भावना को प्रोत्साहित करें। समूह का विभाजन लिंग के आधार पर न हो। स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा, कला शिक्षा तथा कार्यानुभव से जुड़े क्रियाकलापों के लिए कुछ खास सुझाव आगे प्रस्तुत किए जा रहे हैं।

लिंग समानता लाने में सहायक सिद्ध होने वाले क्रियाकलाप

* बालक तथा बालिकाओं को पंचायत की बैठकों में ले जाएँ जहाँ पंचायत के सदस्य (महिला तथा पुरुष) अपने गाँव से संबंधित निर्णय लेते हैं।

* छात्रों तथा समुदाय में सामाजिक बुराइयों से उत्पन्न होने वाले दुष्प्रभावों से सामाजिक विकास पर पड़ने वाले प्रभाव की चेतना पैदा करना, विशेष रूप से महिलाओं तथा बालिकाओं के संदर्भ में।

* शिक्षक द्वारा महिलाओं की शारीरिक क्षमता से जुड़े अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों से होने वाली क्षति को उभारने का सफल प्रयास किया जाए। इस रूढ़ि का विशेष रूप कि बच्चे के लिंग-निर्धारण में महिला पूर्ण रूप से उत्तरदाई हैं। विधवा महिलाओं के प्रति सकारात्मक चिन्तन उत्पन्न करने के प्रयास किए जाएं। बच्चों को यह बताया जाए कि विधवाएँ बदकिस्मत नहीं होतीं, न ही वे अपने पति की मृत्यु के लिए जिम्मेदार होती हैं।

* शिक्षक उभरते व्यवसायों के विषय में बालक तथा बालिकाओं से चर्चा करें। साथ ही बालिकाओं द्वारा नए व्यवसायों में हासिल की गई उपलब्धियों की चर्चा करते रहें। माता-पिता तथा बालिकाएँ इस बात से पूर्णत: सहमत हों कि कोई भी व्यवसाय–बालक तथा बालिकाओं – दोनों के लिए हो सकता है। ऐसा नहीं कि कुछ व्यवसाय सिर्फ लड़कियों के लिए तथा कुछ लड़कों के लिए ही हैं।

समुदाय में किए जाने वाले क्रियाकलाप

* अभिभावकों को स्वास्थ्यपरक जीवन-यापन करने की आवश्यकता के प्रति जागरूक किया जाए, जिससे लिंग-भेद किए बिना वे अपने बच्चों की साफ पोशाक में विद्यालय भेजें।

* लिंग भेद किए बिना अभिभावक अपने बच्चों को पोषक आहार देने की आवश्यकता के प्रति जागरूक हों।

* 'अभिभावक–शिक्षक' की बैठकों में अभिभावक को भोजन की स्वच्छता से जुड़े मुद्दों के प्रति सचेत किया जाए।

* समुदाय में नारी तथा पुरुष अपने आसपास के परिवेश की स्वच्छता के लिए विशेष प्रयास करें।

* बिजली के उपकरणों, स्टोव आदि के लापरवाही से प्रयोग करने पर होने वाली समस्याओं के प्रति जागरूकता लाई जाए, जिससे बालक तथा बालिकाएँ घरेलू वस्तुओं तथा विद्युत उपकरणों का प्रयोग करते समय सावधानी बरतें।

* नए तकनीकी क्षेत्रों में बालिकाओं द्वारा भागीदारिता की आवश्यकता पर समुदाय का ध्यान आकर्षित किया जाए।

* सफल महिलाओं की उपलब्धियों को समुदाय के समक्ष उजागर किया जाए। इससे बालिकाओं को परम्परा से हटकर, नए पाठ्यक्रमों तथा व्यवसायों में प्रवेश लेने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

* समुदाय में इस बात की चेतना पैदा की जाए कि परिवार के सभी सदस्यों को उचित सम्मान मिले, चाहे वे पुरुष हों या महिलाएँ। उनको यह महसूस कराया जाए कि किसी भी व्यवसाय को जाति या लिंग से न जोड़ें। हर व्यवसाय समाज के सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण तथा आवश्यक है।

* गाँव की पंचायत, महिला मंडल तथा गाँव के सक्रिय सदस्यों में देर से विवाह करने की उपादेयता तथा छोटे परिवार के सिद्धांतों के प्रति जागरूक किया जाए, ताकि वे इन विचारों को आगे बढ़ा सकें तथा उन्हें कार्यान्वित कर सकें।

* लिंग-अनुपात में निरन्तर कमी से होने वाले दुष्परिणामों की ओर समुदाय का ध्यान आकर्षित किया जाए।

* समुदाय के सदस्यों को यह बात समझाने का प्रयास किया जाए कि बालक तथा बालिकाओं के शारीरिक विकास में पोषक भोजन की समान रूप से आवश्यकता है।

स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा

भूमिका

स्वास्थ्य हर मनुष्य के जीवन की मूलभूत संपत्ति है। स्वस्थ जीवन ही बच्चे का अधिकार है स्वस्थ होने का तात्पर्य यह नहीं है कि मनुष्य केवल बीमारियों से दूर हो, बल्कि स्वस्थ होने से तात्पर्य है– शारीरिक, मानसिक तथा भावात्मक रूप से स्वस्थ होना। स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा द्वारा बच्चे का शरीर, उसके कार्यों, भोजन की आवश्यकता आराम, व्यायाम, निद्रा, उचित आसन, व्यक्तिगत तथा परिवेश की स्वच्छता एवं पोषक भोजन के अभाव में होने वाले दुष्परिणामों के विषय में सचेत किया जाता है।

स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा संबंधी क्रियाकलापों को संयोजित करते समय बच्चों मे यह भाव उत्पन्न करना आवश्यक है कि पुरुष तथा नारी एक दूसरे के पूरक हैं तथा इस संबंध में किसी प्रकार की उत्कृष्टता या निकृष्टता का भाव रखना गलत है। हर व्यक्ति अपने आप में विशिष्ट होता है तथा उसमें विशिष्ट गुण होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करना चाहिए। विद्यालय में बालिकाओं के शारीरिक विकास पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। पर्यावरण स्वच्छता संबंधी क्रियाकलापों को समूह में आयोजित किया जाए जिसमें बालक तथा बालिकाएँ समान रूप से भाग लें। बालिकाओं के लिए उचित पोषक आहार की महत्ता को उजागर करना चाहिए। स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य आगे दिए जा रहे हैं:

उद्देश्य

1. 'बालिकाओं के लिए स्वास्थ्य-शिक्षा का महत्व' के विषय में विद्यार्थियों को जानकारी देना।
2. व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में छात्रों को जागरूक करना।
3. आसपास के परिवेश को स्वच्छ तथा सुन्दर रखने की आदत का विकास करना।
4. उचित तथा पोषक आहार लेने की आवश्यकता की जानकारी देना।
5. आवश्यकता पड़ने पर प्राथमिक उपचार देने के लिए प्रशिक्षित करना।
6. स्वस्थ मनोरंजन के प्रति समुचित दृष्टिकोण का विकास करना।
7. विद्यार्थियों को खिलाड़ी-प्रवृति अपनाने की शिक्षा देना।
8. विद्याथियों में सही मानसिक स्वास्थ्य की आवश्यकता तथा महत्व की भावना उत्पन्न करना।

स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा (कक्षा I-V)

अधिगम क्षेत्र/कौशल	*क्रियाकलाप*
व्यक्तिगत स्वच्छता	बालक तथा बालिकाओं को नियमित रूप से स्नान करने, दिन में दो बार दाँत साफ करने, नाखूनों को कटा हुआ तथा साफ रखने, कंघी करने, स्वच्छ वस्त्र पहनने, व्यक्तिगत प्रयोग की वस्तुओं को ठीक रखने, अपने वस्त्रों को साफ रखने तथा उनकी मरम्मत करने के लिए प्रेरित किया जाए। शिक्षक इस बात का ध्यान रखें कि बालक तथा बालिकाएँ दोनों ही इन बातों का पालन करें। आमतौर पर बच्चों की देखभाल में बालिकाओं की उपेक्षा की जाती है। अतः इस व्यवहार को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।
शरीर की देखभाल	शिक्षक इस बात के साथ आश्वस्त हों कि विद्यार्थी सोने, भोजन करने, शौच जाने में नियमितता बरतते हैं, काम करने के लिए शरीर की तंदुरुस्ती बनाए रखने पर बल देते हैं; पढ़ाई करते हैं तथा खेलते हैं; खाना बनाने की सही विधि, भोजन का रखरखाव तथा उनका संरक्षण करते हैं; गिरने, जलने तथा विषाणुओं से बचने के लिए सावधानियाँ बरतते हैं; पोषक तत्वों की कमी से होने वाली बीमारियों का पता लगाते हैं; कक्षा में, खेल के मैदान में तथा सड़क पर सुरक्षा के नियमों का पालन करते हैं। शिक्षक इस बात पर भी बल दें कि स्वस्थ जीवन-यापन करने के लिए बालिकाओं को भी इन बातों को व्यवहार में लाना है। परिवार के सदस्यों को स्वस्थ बनाने में बालक तथा बालिकाएँ उपर्युक्त क्रियाकलापों को अपना सकते हैं, जिनसे कि उनका समान उत्तरदायित्व प्रदर्शित

हो सके।

विभिन्न शारीरिक क्रियाकलापों में सही आकर तथा कुशलता से भाग लेना, जैसे–चलना, धीरे-धीरे उछलते हुए चलना दौड़ना, झुकना, कूदना, रस्सी कूदना आदि नकल तथा अनुकरण करना, जैसे बन्दर की तरह सरकना, हाथी की तरह चलना, घोड़े की तरह सरपट दौड़ना, गाड़ी की चाल, बतख की चाल, मेंढक की कूद, खरगोश की कूद, चाय वाले की पुकार, बिल्ली का म्याऊँ, कुत्ते का भौंकना आदि। सुर-ताल आदि।	इस प्रकार के क्रियाकलापों में शिक्षक इस बात पर ध्यान केन्द्रित करें कि क्रियाकलापों में भाग लेने में बालक तथा बालिकाओं की समान भागीदारिता हो। लिंग-भेद किए बिना छात्रों को इन क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। बालक तथा बालिकाओं – दोनों में नेतृत्व के गुण पैदा किये जाएं। अभिभावकों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाए कि वे अपनी लड़कियों को सभी प्रकार के शारीरिक क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें।
खेल की तैयारी	इन क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए बारम्बार प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाएँ। जहां तक संभव हो सके, बालक-बालिकाओं का मिला-जुला समूह बनाएं।
मुकाबले	बालिकाओं को आत्म-सुरक्षा के उपाय सीखने के समुचित अवसर प्रदान किए जाएँ।
व्यायाम विद्या	खेल-कूद के आयोजन के लिए सुविधाएँ प्रदान करने हेतु समुदाय से संपर्क किया जाए।
परिवेश की स्वच्छता	विद्यालय के शौचालय की स्वच्छता के लिए बालक-बालिकाएँ एकजुट होकर कार्य करें,

	कूड़ेदान ढककर रखें, इधर-उधर कूड़ा-करकट न फेंकें; पौधों की क्षति को रोकें; वे विद्यालय द्वारा आयोजित स्वच्छता अभियान में भाग लें; कक्षा, खेल के मैदान तथा विद्यालय के आसपास के परिवेश की स्वच्छता की देखरेख करें, विद्यालय के व्यर्थ पदार्थों को ठीक ढंग से फेंकने के लिए वे उचित कदम उठाएं।
मानसिक स्वास्थ्य	बालक तथा बालिकाएँ एक दूसरे को सम्मान के साथ संबोधित करें; एक दूसरे के प्रति दयाभाव रखें तथा एक दूसरे को परेशान न करें; अपनी दिनचर्या जैसे पढ़ाई, खेल-कूद, विश्राम, व्यायाम तथा सोने के प्रति उचित संतुलन रखें, घर में बीमार या वृद्ध लोगों की देखभाल की जिम्मेदारी स्वीकार, करें; समुदाय में बीमार लोगों की मदद करें; सार्वजनिक संपत्ति को क्षति न पहुचाएँ।

नोट : जैसे–जैसे विद्यार्थी निम्न–स्तर से उच्च–स्तर की ओर बढ़ें, वैसे–वैसे इन क्रियाकलापों के कठिनाई स्तर को क्रमशः बढ़ाते जाएँ।

कला शिक्षा

भूमिका

प्राचीन काल से कला ही 'संप्रेषण' तथा 'अभिव्यक्ति' का माध्यम रही है। बच्चे के स्वाभाविक विकास में 'कला शिक्षा' का भी योगदान है। जैसे कि अपने प्रारंभिक समय से ही बच्चा विभिन्न ध्वनियों, हावभावों, रंगों आदि को पहचानना तथा उन्हें स्मरण करना शुरू कर देता है। बच्चे के जिज्ञासु मन में अपने आसपास के परिवेश के विभिन्न क्रियाकलापों को देखकर भाव तथा विचार शक्ति उत्पन्न होती है। विद्यालय में जाने से पहले बच्चे के पास पर्याप्त मात्रा में विभिन्न प्रकार की शब्दावली होती है तथा उसके पास उस सामग्री या स्रोतों को कुशलता से संयोजित करने की भी खास क्षमता व दक्षता होती है।

अपनी अभिव्यक्ति के लिए विभिन्न आंतरिक गुणों को व्यक्त करने तथा अपनी सर्जनात्मक मांग पूरी करने के लिए कला एक प्रक्रिया है। अतः बिना लिंग भेद किए, कला शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। यह छात्रों के लिए केवल अपनी सर्जनात्मकता के विकास का प्रभावी साधन ही नहीं, बल्कि स्वयं को अभिव्यक्त करने में आत्मविश्वास की भावना भी पैदा करती है। यह केवल तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता ही पैदा नहीं करती बल्कि उनमें निर्णय लेने की क्षमता का भी विकास करती है, विशेष रूप से तब, जब बच्चा रूप, रंग, गीत या मुख्य विचार आदि की अभिव्यक्ति के लिए कोई खास माध्यम चुनता है। यह प्रक्रिया आत्मविश्वास पैदा करती है तथा तत्संबंधी रुचि के क्षेत्र में छात्र की क्षमता उजागर करती है। 'कला शिक्षा' कुछ जन्मजात विशेषताओं को कला शिक्षण के क्रियाकलापों में निस्संकोच भाग लेने के लिए प्रेरित करती हैं। इस विषय से संबंधित मुख्य क्षेत्र चित्रकारी, रंगसाजी तथा प्लास्टिक की कलाएँ हैं।

उद्देश्य

1. छात्रों में सर्जनात्मक कलाओं को सराहने की क्षमता पैदा करना।
2. कला क्षेत्रों से जुड़े क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए बालिकाओं को समान अवसर देना।
3. छात्रों में दृश्य माध्यमों तथा प्लास्टिक कलाओं द्वारा देखने, सोचने तथा स्वयं को अभिव्यक्त करने के गुणों का विकास करना।
4. छात्रों में संगीत, नृत्य तथा नाटक के सामान्य रूपों द्वारा स्वतंत्र अभिव्यक्ति की क्षमता पैदा करना।
5. छात्रों में प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति प्रेम जाग्रत करना।

I-B, Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No D-10480
Date 15-09-2000

कला शिक्षा (कक्षा I-V)

अधिगम क्षेत्र/कौशल	*क्रियाकलाप*
नृत्य, नाटक तथा संगीत में स्वतंत्र गति तथा लय। कण्ठ तथा वाद्य-संगीत के माध्यम से अपनी स्वतंत्र अभिव्यक्ति।	बालक तथा बालिकाओं की समान सांस्कृतिक परम्पराओं को प्रदर्शित करने के लिए विद्यालय में विभिन्न अवसरों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए। इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कई बार भाग लेने से बालिकाओं को स्वयं को अभिव्यक्त करने के अवसर मिलेंगे। इससे उनमें आत्मविश्वास भी पैदा होगा।
रंगसाजी तथा चित्रकारी	चित्रकारी में पारंपरिक विषयों पर बल न दिया जाए। जैसे— मटका उठाना, घर की सफाई करती महिला आदि इस प्रकार के पारंपरिक रूपों में परिवर्तन प्रारंभिक अवस्था में बहुत प्रभावी होते हैं। बालिकाओं को प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए उत्साहित किया जाए।
मिट्टी के आकार, लकड़ी का काम, लकड़ी तथा पत्थर पर नक्काशी, मिट्टी की वस्तुएँ बनाना, सजाने के काम में अर्थ सामग्री की उपयोगिता, ब्लॉक द्वारा निर्माण कार्य।	इन क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए बालक तथा बालिकाओं को समान अवसर प्रदान किए जाएँ। नारी का चित्रण कामुकता के प्रतीक के रूप में प्रदर्शित करने का विरोध किया जाए। बालक तथा बालिकाओं की लकड़ी पर नक्काशी, बढ़ईगिरी, मुखौटे बनाना, विद्यालय की दीवारों पर छोटे भित्ति चित्र बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
रंगसाजी तथा चित्रकारी	विद्यार्थियों से इस प्रकार की चित्रकारी न करवाई जाए जिसमें नारी की हीन स्थिति प्रदर्शित हो। महिलाओं को परम्परागत रूप से हटकर नई भूमिकाओं में प्रदर्शित किया जाए। जीवन की विविध भूमिकाओं में नारी तथा पुरुष को कला के विभिन्न माध्यमों द्वारा मिलजुल कर काम करते दिखाया जाए।

कार्यानुभव

भूमिका

प्राथमिक स्तर पर कार्यानुभव के उद्देश्य सामान्य शिक्षा के बहुत नजदीक हैं। इस स्तर पर बच्चे घर तथा विद्यालय में विभिन्न क्रियाकलापों में भाग लेना बहुत पसन्द करते हैं। बच्चों की यह स्वाभाविक प्रवृत्ति कार्यानुभव के अंतर्गत आयोजित क्रियाकलापों के माध्यम से संतुष्ट हो सकती है। लिंग-साम्य लाने में शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर किए जाने वाले कुछ क्रियाकलाप इस प्रकार हैं :

विद्यालय में किए जाने वाले क्रियाकलाप

* शिक्षक बालक तथा बालिकाओं की सहायता करें जिससे वे :
* अपने परिवेश से विभिन्न कार्यों के लिए स्थितियों का चुनाव कर सकें तथा विभिन्न कार्यों के संपादन के लिए औजारों, सामग्री तथा तकनीक के विषय में जानकारी एकत्रित कर सकें।
* समुदाय में विभिन्न सेवा केन्द्रों की सूची बना सकें। (जैसे स्वास्थ्य केन्द्र, रेलवे स्टेशन बस अड्डा, डाक कार्यालय, आदि)
* यह समझ सकें कि लड़कियाँ भी उन कार्यों में समान रूप से भाग ले सकती हैं, जो केवल आज पुरुषों द्वारा ही संचालित किए जाते हैं।
* विभिन्न क्रियाकलापों के लिए वैज्ञानिक सिद्धान्तों तथा प्रक्रियाओं को उजागर कर सकें।
* बागवानी, सफाई, साज सज्जा की सामग्री बनाने में सामान्य औजारों का प्रयोग कर सकें। बालक तथा बालिकाएँ अपने साथियों के साथ अपने खिलौनों तथा औजारों का लेन-देन कर सकें। वे इस बात को भी समझ सकें कि वैज्ञानिक तकनीक का प्रयोग दैनिक जीवन में मनुष्य की ऊर्जा का संरक्षण करता है।
* शिक्षक फालतू तथा सस्ती चीजों से बालक तथा बालिकाओं को मिल-जुल कर सामग्री निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित करें।
* शिक्षक बालक तथा बालिकाओं में इस बात की चेतना पैदा करें कि विद्यालय

तथा आस-पास के परिवेश की स्वच्छता उनकी मिली-जुली भागीदारिता से ही संभव है।

* शिक्षक बच्चों को समझाएँ कि कोई भी कार्य लिंग आधारित नहीं है। उचित प्रशिक्षण देने के बाद कोई भी काम किसी से भी करवाया जा सकता है, चाहे वह लड़का हो या लड़की।

* बालक तथा बालिकाएँ कार्यानुभव के अंतर्गत तैयार सामग्री की प्रदर्शनी आयोजित करें।

* समुदाय के सदस्यों को (अभिभावक आदि) इस प्रकार की प्रदर्शिनियों में आमंत्रित किया जाए, जिससे वे बच्चों की सहभागिता की प्रशंसा कर सकें।

* बालक तथा बालिकाओं को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाए कि वे मिल-जुल कर विद्यालय के समारोहों की योजना बनाएं तथा उसमें समान रूप से भाग लें।

* कार्यानुभव के अंतर्गत आने वाले सभी क्रियाकलापों की इस प्रकार योजना बनाई जाए जिससे बालक तथा बालिकाएँ उसमें समान रूप से भाग ले सकें।

परिशिष्ट

प्रतिभागी सूची

1. श्री जनक राज शर्मा
   व्याख्याता
   एस. सी. ई. आर. टी. सोलन
   हिमाचल प्रदेश
2. डा. ए आर. सीताराम
   आर, आई. एम. एंड एस. ई.
   यादवगिरी. मैसूर
3. डा. स्टेला
   शैक्षिक तकनीकी विभाग
   भरतीदासन युनिवर्सिटी
   तिरुचिरापल्ली
   तमिलनाडु
4. श्री गोपाल बागची
   डिप्टी डायरेक्टर ऑफ स्कूल
   एजुकेशन, कलकत्ता
   पश्चिमी बंगाल
5. श्रीमती बंदनादास
   प्रधानाचार्या
   गोखले मेमोरियल कन्या स्कूल
   एवं टीचर्स ट्रेनिंग विभाग
   कलकत्ता
   पश्चिमी बंगाल
6. श्रीमती स्वदेश मोहन
   सरस्वती बाल मन्दिर
   हरी नगर, नई दिल्ली
7. डा. आई एस. सूरी
   डी. आई. ई. टी
   राजेन्द्र, नगर, नई दिल्ली
8. प्रो. सरोजनी बिसारिया
   साकेत, नई दिल्ली
9. श्रीमती सविता मैथानी
   आर. के पुरम्, नई दिल्ली
10. श्रीमती मीनाक्षी शर्मा
    आर. के पुरम्, नई दिल्ली
11. श्रीमती उषा मवानी
    आर. के. पुरम्, नई दिल्ली
12. प्रो. नीरजा शुक्ला
    डी. एन. एफ. ई.
    एन. सी. ई. आर. टी.
    नई दिल्ली
13. प्रो. विनिता कौल
    डी. पी. पी. एस. ई.
    एन. सी. ई. आर टी.
    नई दिल्ली

14. डा. शुक्ला भट्टाचार्य
डी पी. पी. एस. ई.
एन. सी ई. आर. टी.
नई दिल्ली

15. प्रो. एम. चन्द्रा
डी. ई. एस. एम.
एन. सी ई. आर. टी.
नई दिल्ली

16. प्रो. उषा नैय्यर
डी. डब्ल्यू. एस.
एन. सी. ई. आर. टी.
नई दिल्ली

17. डा. के. सी. नौटियाल
डी. डब्ल्यू. एस.
एन. सीं. ई. आर. टी.
नई दिल्ली

18. डा. किरन देवेन्द्रा
डी. डब्ल्यू. एस.
एन. सी. ई. आर. टी.,
नई दिल्ली

19. डा. जनक दुग्गल
डी. डब्ल्यू. एस.
एन. सी. ई. आर. टी.,
नई दिल्ली

20. डां. राजरानी
डी. डब्ल्यू. एस.
एन. सी. ई. आर. टी.
नई दिल्ली

21. श्री हरीश कुमार त्यागी
डी.. डब्ल्यू. एस.
एन. सी. ई. आर. टी.
नई दिल्ली

22. डा. मंजू गुप्ता
आई. जी. एन. ओ. यू.
नई दिल्ली

NIEPA DC
D10480
LIBRARY & DOCUMENTATION Centre
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg.
New Delhi-110016 D-10480
DOC, No.....
Date 15-02-2000